

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2015

का. आ. 3039(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 26 मई, 2000 की अधिसूचना सं. का. आ. 497 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “ब्रह्मावेन्ता श्री देवाराहा हंस बाबा ट्रस्ट, 79, करीप्पा मार्ग, सैनिक फार्म,

नई दिल्ली” द्वारा “गांव भागदेवर, माहुरी कालान, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में वृद्ध भक्त निवास (वृद्धाश्रम), ध्यान योगा केंद्र तथा आयुर्वेदिक दवाखाना हेतु बिल्डिंग का निर्माण तथा संचालन” की परियोजना को निर्धारण वर्ष 2001-02 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 2 पर विनिर्दिष्ट किया था; जिसे बाद में दिनांक 13 जून, 2003 की अधिसूचना सं. का. आ. 690 (अ) के तहत निर्धारण वर्ष 2004-05 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 4.06.2006 की अधिसूचना सं.का. आ. 1411 (अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2006-07 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 22 मार्च, 2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 637 (अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2009-10 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 12 मार्च, 2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 651 (अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 22 मार्च, 2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 637 (अ) द्वारा 7.55 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत को बढ़ाकर 11.85 करोड़ रूपए कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 15 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, “ब्रह्मावेन्ता श्री देवाराहा हंस बाबा ट्रस्ट, 79, करीप्पा मार्ग, सैनिक फार्म, नई दिल्ली” द्वारा चलाई जा रही “गांव भागदेवर, माहुरी कालान, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में वृद्ध भक्त निवास (वृद्धाश्रम), ध्यान योगा केंद्र तथा आयुर्वेदिक दवाखाना हेतु बिल्डिंग का निर्माण तथा संचालन” की परियोजना अथवा स्कीम को 11.85 करोड़ रूपए अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-2018 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 229/2015 /फा. सं. वी -27015/3/2015 एस ओ(एन. सी)]

मकुबन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)